

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-3/2018/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	ज्ञानप्रकाश शर्मा	नर्स प्रथम	अलवर	16.03.1958	31.03.2018
2.	अशोक कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	05.04.1958	30.04.2018
3.	विनोद कुमार	नर्स प्रथम	सीकर	04.04.1958	30.04.2018
4.	भागीरथ मल सैनी	नर्स प्रथम	सीकर	11.04.1958	30.04.2018
5.	परमजीत कौर	नर्सिंग ट्यूटर	श्रीगंगानगर	15.04.1958	30.04.2018
6.	हरजीराम चौधरी	नर्स प्रथम	नागौर	01.07.1958	30.06.2018
7.	वलसम्मा सी0 पी0	बी0एच0एस0(फिमेल)	डूंगरपुर	05.07.1958	31.07.2018
8.	घनश्याम दास गुप्ता	नर्सिंग ट्यूटर	अलवर	18.07.1958	31.07.2018
9.	सत्य नारायण शर्मा	नर्स प्रथम	अलवर	10.08.1958	31.08.2018
10.	योगेश कुमार खट्टर	नर्स प्रथम	अलवर	25.09.1958	30.09.2018
11.	नीलम देवी	नर्स प्रथम	अलवर	22.11.1958	30.11.2018
12.	मन मोहन शर्मा	नर्स प्रथम	अलवर	09.12.1958	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 26.02.2018

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-3/2018/130

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर